

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2908/2026**

शाहील मौर्य

...आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृहविभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....प्रतिवादीगण

---

आवेदक के अधिवक्तागण : राजीव मिश्रा, अंजलि दुबे, मनोज कुमार,

सोनिया मिश्रा, सोनी पाठक

विपक्षी पक्ष के अधिवक्तागण : शासकीय अधिवक्ता, अनिल कुमार

---

**न्यायालय संख्या - 11****माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना भदोखर, जनपद रायबरेली में धारा 140(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत पंजीकृत एफ.आई.आर. संख्या 547/2025 में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 11.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त विकास कुमार के समान है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2026 को पारित आदेश, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2479/ 2026 में पारित हुआ, के द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत पाने का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सह-अभियुक्त विकास कुमार के जमानत आदेश की छायाप्रति को अभिलेख पर लिया गया।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त विकास कुमार को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों, सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा मत है कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त मामला है। समानता के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. आवेदक बृजेश कुमार उर्फ छोटू को एफ.आई.आर. संख्या 547/2025 में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर अभियोग लगाया गया है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (iii) आवेदक इस आशय का एक लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों और साक्ष्य के लिए तारीख नियत हो, तब वह उस तारीख पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 209, बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (a) मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय, (b) आरोप तय किए जाने के समय, तथा (c) धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किए जाने के समय निश्चित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या उसके पास अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए, उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने तथा जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 10 जून, 2026

वीकेएस

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।